न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **303/2022** दायर दिनाँक **22.07.2022**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. हीराराम पुत्र कुशालाराम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.
सहपठित धारा 136 राज0 भू0 अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री हरफूल राव वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **29.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा चान्दबासनी पटवार हल्का कलवानी, भू—अभिलेख नि0 चान्दबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 के पुराना खसरा सं0 107 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा अवस्थित रही है, जिनके नये खसरा सं0 123 रकबा 5.4700 हैक्टे0 बने। जो तथ्य सम्वत् 2006 से लगातार आज तक की जमाबन्दी में स्पष्ट है। नकल जमाबन्दी व खसरा मिलान तथा अन्य भू—प्रबन्ध वाद—पत्र के साथ पेश है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही उपरोक्त खसरा सं0 भूमियों पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादी से पूर्व भुगानाराम पुत्र ईशराराम जाति मेघवाल निवासी गिरधारीपुरा के पिता ईश्वराराम व ईश्वरराराम के पिता का कब्जा काश्त रहा है। ईश्वराराम व ईश्वराराम के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त सम्पूर्ण भूमि पर भुगानाराम का वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा काश्त रहा है। मगर भुगानाराम ने उक्त कब्जा काश्त व पैत्रिक भूमि का जरिये इकरारनामा बैचाण दिनांक 14.02.2001 को वादी को कर दिया तथा पुराना खसरा सं0 107 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा वाकै सरहद चांदबासनी के नये खसरा सं0 123 रकबा 5.4700 हैक्टे0 में से 21 बीघा भूमि का कब्जा काश्त वादी को सुपुर्द कर दिया तथा अपनी प्रतिफल राशी प्राप्त कर ली, तब से लेकर आज तक उपरोक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी डक्त भूमियों पर वादी द्वारा खरीद सुदा भूमियों पर पहले बैचाणकर्ता के पिता/दादा के कब्जा काश्त की रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त भूमियों पर बैचाण कर्ता व बैचाण कर्ता के पिता व दादा का ही कब्जा काश्त रहा है। वादी के द्वारा खरीदे जाने के बाद से उक्त भूमि पर वास्तविक व भौतिक रूप से वादी का ही कब्जा काश्त बे रोक—टोक व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। गिरदावरी की प्रतियों की नकले वाद—पत्र के साथ पेश है।

यह है कि राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से कालान्तर में गलत रूप से सम्वत् 2025 को महकमा कस्टोडियम के नाम से खातेदारी दर्ज हो गयी। जिसका उस वक्त मौका [illegible] किसी प्रकार का निरिक्षण नहीं [illegible]के केवल मात्र कागजी कार्यवाही करके ही उक्त भूमि को भारत स[illegible] कस्टोडियम दर्ज कर दिया गया है, जबकि सम्पूर्ण भूमि पर वादी का [illegible] कब्जा [illegible] रहा है वादी के अलावा अन्य किसी का कोई कब्जा काश्त ही नहीं था [illegible] भूमि पर कस्टोडियम विभाग का या अन्य किसी का कोई अधिकार एवं कब्जा [illegible] नहीं है तथा वादी व उसके परिवारजन कभी भी भारत छोड़कर अन्यत्र बसने हेतु नहीं गये है, पुराने रेकर्ड में महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) गलत रूप [illegible] दर्ज हुआ था, जो राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

कर्मचारियों के गलत अंकन के कारण दर्ज हो गया, जिसे वादी शुद्धिकरण करवाकर पुरानी कदीमी समय से वादी के कब्जा काश्त की चली आ रही कृषि भूमि को वादी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) दर्ज होने के कारण समय–समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा एलानियां धमकियां देते है तथा वादी को उसकी पैत्रिक कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते है तथा उसके अधिकारों व हितों को चुनौती देने लगे हुये है तथा येन–केन प्रकारेण वादी की पैत्रिक कृषि भूमि से मरहुम रखना चाहते है। जिस हेतु यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है।

यह है कि प्रार्थना वादी इस प्रकार है :–

यह है कि मौजा चांदबासनी पटवार हल्का कलवानी, भू–अभिलेख नि0 चान्दबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 के पुराना खसरा सं0 107 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा जिनके नये खसरा सं0 123 रकबा 5.4700 हैक्टे0 में से 21 बीघा भूमि वादी की कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की कृषि भूमि रही है, उक्त खसरा सं0 123 रकबा 5.4700 हैक्टे0 में से 21 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड में खातेदारी वादी के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने अपनी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 – खसरा मिलान भू–प्रबन्धक सेटलमेन्ट 2022, प्रदर्श 2 – खसरा मिलान भू–प्रबन्धक सेटलमेन्ट 2074 से 2093, प्रदर्श 3 – जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2074–2093, प्रदर्श 4 – जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2022, प्रदर्श 5 – जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2006, प्रदर्श 6 जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2012–2015, प्रदर्श 7 – जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2016–2019 , प्रदर्श 8 – जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2020–2023, प्रदर्श 9 – जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2024–2026, प्रदर्श 10 – जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत् 2064–2067, प्रदर्श 11 – गिरदावरी सम्वत् 2014, प्रदर्श 12 – गिरदावरी 2015–17, प्रदर्श 13 – गिदावरी सम्वत् 2018, प्रदर्श 14 – गिरदावरी सम्वत 2019–2021, प्रदर्श 15 – गिरदावरी सम्वत् 2010, प्रदर्श 16 – गिरदावरी सम्वत् 2011–2013 प्रदर्शित किये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चान्दबासनी के पुराना खसरा सं0 107 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा जिनके नये खसरा सं0 123 रकबा 5.4700 हैक्टे0 में से 21 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनाँक **29.07.2022** को खुले इजलास में सुनाया गया।

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:05 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 303/2022 दायर दिनाँक 22.07.2022

वादी		**प्रतिवादी**
1. हीराराम पुत्र कुशालाराम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.
सहपठित धारा 136 राज0 भू0 अधिनियम 1956

दिनाँक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफूल राव वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चान्दबासनी के पुराना खसरा सं0 107 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा जिनके नये खसरा सं0 123 रकबा 5.4700 हैक्टे0 में से 21 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो हो सकता है डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:01:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(डीडवाना)

Scanned with OKEN Scanner